

31/10/19

सरकारी पैरो 300।
 पत्नी अप्राधी अनु! सरकारी पैरो ने कहे के दोरान कलापानि अप्राधी द्वारा स्वयं की खातेदारी मुक्ति की पाली-चक प्रथम के व. नं. 1199 रफ. वा 3.15 बीघा दिल्क नहरी दोर का कृषि से अकृषि उपयोग किया जा रहा है, जिसे बिना संपीकित कराये स्वरूप बदल दिया है, कल: अट्बाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे।

कहत सुनने के पश्चात कहे पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड दातावेज का अवलोकन करने के पश्चात मूल वाद के निर्विध होने लठ अट्बाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

लिहाजा अप्राधी ताफेसला मूल वाद अन्न भूमि का कंचाण, हस्तांतरण, निर्माण इत्यादि नही करेगे।

प्रथमा पत्र फटेनल शुमार होकर नम्बर ले कभ बा।

सहायक कलेक्टर
 पाली (राज.)

